तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2422/2005/चितौडगढ कैलाशचन्द बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी श्री ईश्वर देवडा, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** **दिनांक 11.10.2018** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 06-05-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार अपीलीय न्यायालय ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र पर बहस सुनकर विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारण योग्य नहीं था क्योंकि अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2422/2005/चितौडगढ कैलाशचन्द बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हो गयी थी तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने का बाजदायरी प्रार्थनापत्र विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं था तथा बाजदायरी प्रार्थनापत्र पर विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निगराधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश को निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर471 की मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नहीं आकर अन्तरिम आदेश की परिभाषा में आता है, जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल में संधारण योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, प्रतापगढ ने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2422/2005/चितौडगढ कैलाशचन्द बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बंटवारे के वाद में दिनांक 19-02-2002 को निर्णय पारित कर पक्षकारान के मध्य बंटवारे के आदेश पारित किये। उक्त निर्णय के विरुद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी, जो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हुई। तत्पश्चात् उक्त अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत् बाजदायरी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके विचाराधीन रहते प्रतिवादी अप्रार्थी संख्या-1 व 2 ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 471 बाबत् मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र पर बहस सुनकर निगराधीन आदेश से विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया। इस प्रकार अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश निर्णीत प्रकरण की श्रेणी में नहीं आकर स्पष्टतः अन्तरिम आदेश की परिभाषा में आता है, जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी मण्डल में संधारण योग्य नहीं होती है। प्रार्थी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निगरानी के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन अन्तरिम आदेश में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2422/2005/चितौडगढ कैलाशचन्द बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/2422/2005/चितौडगढ कैलाशचन्द बनाम कन्हैयालाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए